विद्युत लोकपाल मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-22/2022

श्री अंतिम जैन टड़ा, मोदी स्टोन क्रेशर, ग्राम तुमरी, रहली जिला— सागर (म.प्र.)

– अपीलार्थी

विरुद्ध

- अधीक्षण यंत्री (संचा / संधा.) वृत्त
 मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, अनावेदक सागर (म.प्र.)—470002
- कार्यपालन अभियंता (संचा. / संघा) संभाग, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, रहली (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 1.3.2023 को पारित)

01 आवेदक श्री अंतिम जैन टड़ा, मोदी स्टोन क्रेशर, ग्राम तुमरी, रहली जिला— सागर (म.प्र.) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 19.12.2022 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जबलपुर क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक 67/2022 में आदेश दिनांक 04.8.2022 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 42 (6) विद्युत अधिनियम, 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 19.12.2022 को इस कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल 00—22/2022 पर दर्ज की गई है।

02 प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

- I. That the petitioner, Mr. Antim Jain Tada is a resident of Village Tumri, Rehali, District Sagar, M.P. and has a meter connection for his crusher at Tumri Kesli village, in district Sagar.
- II. That the Respondent 1 is the executive engineer of M. P. Poorv Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd., (Operational Dept.), Sagar Division (MP) and Respondent 2 is the division office of the above-stated company providing electricity to the petitioner's stone crusher.
- III. That in the month of September 2021, due to non-working of the meter at petitioner's stone crusher, the said meter was exchanged with a new meter bearing no. MPP 18105.
- IV. That the new meter has been faulty in nature since the day it was installed as it displayed incorrect date, time, month, and year. Along with the incorrect status, the new meter has been showing an irregular and unexpected faulty hike in the meter reading and consumption of electricity since the month it was installed at petitioner's stone crusher.
- V. That as a result of the incorrect reading due to faulty meter, the petitioner had to pay an excess amount as per the bills being received by the petitioner,
- VI. That the petitioner had in good faith paid the electricity bills till date and did not raise unnecessary query regarding the incorrect meter reading till the month of January 2022 under the impression that the department has been sending cumulative bill as the estimated and billing consumption in the month of September and October 2021 showed 0 units which is evident from the electricity bills received.
- VII. That following is the reading of the faulty meter from the month of September 2021 till January 2022:

Meter No.	Month	Reading	Consumption	Estimated	Billing
			_	Consumption	Consumption
	September,	8441.6	8441.6	0	0
	2021				
MPP 18105	October, 2021	8441.6	0	0	0
	November, 2021	39384	30942.4	0	30942.2
	December, 2021	48330	8946.2	0	8946.2
	January, 2021	80446.4	32116.2	0	32116.2

- VIII. That the readings of the meter in itself shows the discrepancies and variation in reading which prima facie portrays the failure of the respondents to provide proper service of which the respondents did not take note. Moreover, in the month of January 2022 the petitioner's faulty meter caught fire due to which it was completely burnt, and it is after the burning of the meter that the petitioner came to be aware of the excess billing and as a result lodged a complaint against the said discrepancies.
- IX. That, since 05/02/202 to 13/03/2022 their was no electricity connection as the meter was burnt but still in average charges has been imposed over appellant as well as surcharges and capacitor charges were also imposed over appellant which should be quashed.
- X. That due to the excess billing as a result of the faulty meter the petitioner had to bear surcharge and financial loss by paying the incorrect electricity bills issued by the respondent
- XI. That the burnt meter was replaced by the respondents on date 17.03.2022 and From 5.02.2022 till 13:03.2022 the meter connection was cut hence there was no supply of electricity. Although the meter connection was cut for the above-mentioned time frame, the petitioner was charged with electricity bill on the basis of an average of the consumption of last 12 months amounting to 12,000 units even though such units were not consumed by the petitioner.
- XII. That in light of the unreasonable and arbitrary actions of the respondents, the petitioner had to suffer severe monetary loss and had to face unnecessary trouble in resolving this issue
- XIII. That it is pertinent to mention that the petitioner was not charged with consumption of more than 18,000 units in the last 5 years, however since the installation of the new meter in the month of September 2021, the petitioner was charged with unreasonable consumption of units which prima facie portrays the incorrect reading of the faulty meter, and the same is clearly evident from the reading it self it clear that the RTC was not proper and the time, date, are reflecting in wrong way hence the reading can't be held reliable.
- XIV. That the petitioner duly paid all its bills timely informed the respondent of the burning of the meter further the petitioner followed a lawful approach to resolve the issue by bringing the matter before the Hon'ble Forum, which shows the bona fide intention of the petitioner.

XV. That the Hon'ble Forum did not appreciate the entire facts of the case and passed an unreasonable order which is self contradictory in fact and nature, even the forum appreciated the few contentions but the order is not clear in-respect of the other contentions raised by the petitioner the order is stating only that the average consumption charged for the period of 05.02.2022 till 13.03.2022 should be done by average reading of new meter.

Grounds-

- I. That, the order passed by the Hon'ble Forum dated 04.08.2022 is patently perverse and devoid of merits hence, it is liable to be set aside only on this ground.
- II. That the Hon'ble Forum failed to appreciate the fact that the meter installed in the month of September 2021 bearing number MPP18105 was faulty from the very day it was installed as it showed incorrect time, date, month, and year. The Hon'ble Forum did not even consider that if a meter can show faulty status, then it is highly probable that the reading showed by the meter is also incorrect, which is the precise facts of the case and which shows that the order of the Hon'ble Forum was not passed on merits. Hence, on this ground only the order of the Hon'ble Forum is liable to be set aside.
- III. That the Hon'ble Forum failed to appreciate the fact that the faulty meter recorded an excess consumption ranging to as high as 32116.2 units in the month of January 2022 when in fact in the entire past 5 years the average of the consumption by petitioner did not went above 18000 units. Hence, it is prima facie evident that the present petition is a case of faulty and defective meter providing excess consumption reading. Hence, on this ground only the order of the Hon'ble Forum is liable to be set aside.
- IV That the Hon'ble forum did not consider the fact that the petitioner had duly paid all the incorrect bills in good faith under the assumption that it must be a cumulative bill for the past months as the month of October 2021 shows zero consumption while the further months provides for excessive consumption. Hence, the failure of the Hon'ble Forum to appreciate the bona fide intention of the petitioner and material facts and merits of case shows the unreasonable ingredient in the orders passed by the Hon'ble Forum and hence on this ground only the said order is liable to be set aside.
- V. That the Hon'ble Forum failed to disregard the allegation of the respondents speculating that the petitioner burnt the meter in January 2022 himself however, if that were the intention of the petitioner to deal with the faulty meter, he could have burnt the meter in the very month it was installed and showed the incorrect status and reading. That the respondents did not provide any

documents or material evidence to corroborate their speculation which prima facie portrays the intention of the respondents to shift their liability upon the petitioner and to falsely charge the petitioner with excessive consumption bill. Hence, on this ground only the perverse order of the Hon'ble Forum is liable to be set aside.

- VI. That the respondent can either admit that the meter installed in petitioner's premises were not compromised in which case the respondent is liable to give a revised correct electricity bill to the petitioner or else if the respondent admits that the bill was correct but the meter did not work properly, in that case also, the respondent is liable to give the revised bill as per the collect consumption and reading. The Hon'ble Forum failed to consider this fact and hence the order is liable to be dismissed.
- VII. That the order of the Hon'ble Forum causes grave prejudice to the present appeal as it would be burdened with liability without reasons for the same being provided. Hence, on this ground only the order of the Hon'ble Forum is liable to be set aside.
- VIII. That a judicial order must be based on reasons and in the event an order has been passed without reasons, the same is a nullity, hence on this ground only the order of the Hon'ble Forum is liable to be set aside.
- IX. That the violation of principles of natural justice is by itself a ground for appeal against the order passed. Hence, on this ground only the order of the Hon'ble Forum is liable to be set aside.
- X. That the Hon'ble forum had failed to appreciate the contents of the Petition filed by the petitioner stating that the petitioner had to pay excess amount of money for the incorrect consumption reading causing huge monetary loss to the petitioner. Hence the respondent is liable to provide the precise bill containing the correct consumption units to the petitioner and to return or adjust the excess amount paid by the petitioner. The Hon'ble Forum did not take cognizance of this fact and hence on this ground only the order of the Hon'ble Forum is liable to be set aside.
 - 3 प्रकरण को क्रमांक एल 00—22 / 2022 पर दर्ज करने के बाद उभय पक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 17.1.2023 नियत की गई ।
 - ❖ प्रथम सुनवाई दिनांक 17.1.2023 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक की ओर से श्री संजय रघुवंशी, सहायक यंत्री एवं श्री प्रणय सक्सेना, अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपना अधिवक्ता पत्र प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया ।

चूंकि आवेदक की ओर से न तो स्वयं आवेदक और न ही उनका कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ, इस कारण प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी । आवेदक को अवगत हो कि यदि अगली सुनवाई में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तो एकपक्षीय कार्यवाही की जा सकती है ।

उक्त प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 07.02.2023 नियत की जाती है ।

♣ द्वितीय सुनवाई दिनांक 07.2.2023 को आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता सुश्री ऋतु ठाकुर उपस्थित । अनावेदक की ओर से अनावेदक के अधिवक्ता श्री प्रणय सक्सेना तथा श्री संजय रध्वंशी, सहायक यंत्री उपस्थित ।

अनावेदक द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसकी एक प्रति आवेदक के अधिवक्ता को दी गई । अनावेदक ने निम्नानुसार प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया :—

प्रतिप्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है कि

- 1. यह कि अपीलार्थी द्वारा माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष अभ्यावेदन प्रकरण एल00—22 / 2022 प्रस्तुत किया है जो कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जबलपुर के आदेश दिनांक 04.8.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है । अर्थात् अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की नियत समयाविध के उपरांत माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है जो मात्र इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । विलंब माफी आवेदन में कोई विलंब का कोई ठोस कारण नहीं दर्शित किया है और उसके साथ कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । अगर माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तो उसकी प्रति प्रतिप्रार्थीगण को उपलब्ध नहीं कराई गई है ।
- 2. यह कि अभ्यावेदन के आधार में अपीलार्थी द्वारा यह तथ्य वर्णित किया है कि मीटर सितम्बर 2021 में लगाया गया था उसी दिन से सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा था व मीटर दोषपूर्ण था पूर्णतः असत्य होने से अस्वीकार है । यहां यह अति महत्वपूर्ण है कि उक्त मीटर अगस्त 2021 में अपीलार्थी के परिसर में स्थापित किया है और फरवरी 2022 में उक्त मीटर जल गया और उसके उपरांत 06.06.2022 को अपीलार्थी ने विद्युत फोरम जबलपुर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की है अर्थात् अपीलार्थी ने पूर्व में कोई आपत्ति खपत या बिल राशि बावत् नहीं ली है । मीटर की एम. आर.आई रिपोर्ट संलग्न है (आर—1) आर.टी.सी. से खपत का कोई सरोकार नहीं होता है समय व दिनांक गलत बताने से कतै यह तात्पर्य नहीं है कि खपत गलत दर्ज हो रही है । प्रतिप्रार्थीगण के पास 40—200 एम्पीयर क्षमता के मीटर उपलब्ध न होने से आर.टी.सी खराब होने पर भी मीटर बदलना संभव नहीं था ।
- 3. यह कि अपीलार्थी का यह कहना कि विगत 5 वर्षों में उसकी इतनी खपत नहीं आई है, दोषपूर्ण मीटर होने के कारण अत्यधिक खपत आई है पूर्णतः अस्वीकार है । एम.आर.आई रिपोर्ट्स के अवलोकन से यह तथ्य सिद्ध होता है कि अपीलार्थी के संस्थान की प्रत्येक दिन की खपत कितनी हुई है व डिमांड कितनी थी संपूर्ण लेखा— जोखा एम.आर.आई रिपोर्ट में दर्ज है जो संलग्न है (आर—2)
- 4. यह कि यह उल्लेख किया है कि अक्टूबर 2021 में शून्य खपत दर्शाई गई है इसका स्पष्टीकरण यह है कि उस माह में एम.आर.आई डाटा नहीं आने पर मैन्यूली 0 रीडिंग खपत पंच कर दी गई

जबिक अगले माह में सही खपत रीडिंग आने पर दो माह की रीडिंग का बिल प्रेषित किया गया । अपीलार्थी के परिसर में लगा मीटर पूर्णतः सही है व सही रीडिंग दर्ज कर रहा है ।

- 5. यह कि अपीलार्थी के परिसर में लगा मीटर 05/02/2022 को जल गया था और 17.3.2022 को नया मीटर लगाया गया है इस दौरान 12000 यूनिट का आंकलित खपत का बिल वह पूर्णतः सही है ।
- 6. यह कि माननीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जबलपुर द्वारा पारित आदेश विधित सम्मत प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य तथा प्रकरण के सभी बिन्दुओं पर विचार करने के उपरांत पारित किया गया है जो सही है और यथावत रखे जाने योग्य है । अपीलार्थी को कोई अधिक राशि का बिल जारी नहीं किया गया है और न ही उसे आर्थिक हानी पहुंची है । माननीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा आदेश पारित करते हुये प्राकृति न्याय के सिद्धांत का भी पालन किया है और अपीलार्थी को जो बिल जारी किये गये हैं वह उसके द्वारा खपत की गई उपयोग की गई विद्युत के आधार पर ही की गई है ।
- 7. यह कि यहां यह अति महत्वपूर्ण तथ्य है कि अपीलार्थी के एम.आर.आई रीडिंग व खपत को देखने से यह तथ्य उजागर होता है कि अपीलार्थी का अनुबंधित भार 112 कि.वा. है जबकि जिस माह मीटर जला है उस माह में एम.डी. अनुसार 164 कि.वा. का उपयोग अपीलार्थी संस्था द्वारा किया गया है इस ओवरलोड के कारण ही मीटर संभवतः जलने की पूर्ण संभावना है ।
- 8. यह कि माह जनवरी 2022 में एम.आर.आई के माध्यम से 32116.2 यूनिट खपत के बाद मीटर के अचानक जल जाने से इस तथ्य की प्रबल संभावना है कि मीटर किसी तकनीकी त्रुटि अथवा फॉल्ट से नहीं बल्की किसी बदिनयती से इरादतन जलाया गया है जिससे की उसका परीक्षण न हो सके अपीलार्थी से सभी माहों में एम.आर.आई के आधार पर ही रीडिंग दर्ज की गई है किसी भी प्रकर की आंकलित खपत नहीं ली गई । उक्त बिल पूर्णतः वास्तविक खपत और संपूर्ण आधारों पर दिये गये हैं जिसमें मीटर में कोई फॉल्ट है और न ही मनमाने तौर पर बिल जारी किये गये हैं।
- ❖ आवेदक के अधिवक्ता को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब को पढ़कर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने को कहा गया ।
- ❖ आवेदक से पूछा गया कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में उन्होंने जनवरी 2022 की प्रतिदिन की खपत प्रस्तुत की है, जिसमें आवेदक के मीटर की अधिकतम मांग 164.48 के.डब्ल्यु. दर्ज हुई है जबिक उनका अनुबंधित भार 112 किलोवॉट ही है । इसलिए अधिक खपत दर्ज हुई है इस संबंध में साक्ष्य सहित प्रतिवेदन अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें ।

आवेदक द्वारा उक्त जानकारी तथा अनावेदक से प्राप्त प्रत्युत्तर का जवाब प्रस्तुत करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय की मांग की गई । मांग को स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 15.02.2023 नियत की जाती है ।

तृतीय सुनवाई दिनांक 15.2.2023 को आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री दीपक शुक्ला उपस्थित । अनावेदक की ओर से अनावेदक के अधिवक्ता श्री प्रणय सक्सेना तथा श्री संजय रधुवंशी, सहायक यंत्री उपस्थित । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के जवाब में आवेदक से साक्ष्य सहित प्रतिवेदन दिनांक 15.2.2023 की सुनवाई में चाहा गया था । आवेदक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय की मांग की गई । मांग को स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 21.2.2023 प्रातः 11.30 बजे नियत की जाती है ।

❖ चतुर्थ सुनवाई दिनांक 21.2.2023 को आवेदक की ओर से श्री आदेश जैन एवं आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री दीपक शुक्ला उपस्थित । अनावेदक की ओर से अनावेदक के अधिवक्ता श्री प्रणय सक्सेना व श्री अजय दुवे तथा श्री संजय रधुवंशी, सहायक यंत्री उपस्थित ।

आवेदक ने अपने कथन निम्नानुसार किये :-

- 1.मैने 112 KW का विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया है जिसमें स्टोन क्रेशर चलाता हूँ।
- 2.मैं पिछले 5 वर्षो से अधिक समय से एक समान भार का उपयोग कर रहा हूँ जिससे मेरी प्रतिमाह खपत लगभग 10,000 यूनिट के अंदर ही रहती है ।
- 3.मेरे कनेक्शन पर स्थापित मीटर बंद होने के कारण माह सितम्बर 2021 में नया मीटर क्रमांक MPP18105 से बदला गया था जिसकी क्षमता थ्री फेस 40—200 एम्पीयर थी ।
- 4. उक्त मीटर शुरू से ही खराब था उसमे दिनांक समय एवं वर्ष सभी गलत दिखाई दे रहे थे उसके द्वारा दर्ज की गई खपत भी गलत थी जिसका मैने बार—बार विरोध किया था ।
- 5.मीटर खराब होने के कारण दिनांक 5.2.2022 को जल गया था इसके साथ ही केबल भी जल गई थी अतः मेरा कनेक्शन को काट दिया गया था, जो दिनांक 13.3.2022 को चालू किया ।
- 6.दिनांक 13.3.2022 को मेरे द्वारा स्थापित केबल से विद्युत प्रदाय चालू किया था । दूसरा मीटर दिनांक 17.3.2022 को स्थापित किया गया ।
- 7.जलने के पूर्व मीटर द्वारा नवम्बर 2021 में 30942 यूनिट एवं जनवरी—2022 को 32162 दर्ज की थी जो की गलत है इस मीटर की पूरी अवधि की खपत गड़बड़ होने से औसत खपत के आधार पर बिल किया जाना चाहिये ।
- 8.दिनांक 5.2.2022 से दिनांक 13.3.2022 तक मेरा कनेक्शन कटा हुआ था । अतः इस अवधि हेतु औसत खपत की बिलिंग नहीं किया जाना चाहिये ।

अनावेदक ने अपने कथन निम्नानुसार किये :--

- 1. अनावेदक ने अपने कथन में कहा मीटर की कार्यप्रणाली ठीक थी । आर.टी.सी. की गडवड़ी के कारण खपत में कोई अंतर नहीं आता ।
- 2. आवेदक को पिछले सुनवाई में जले हुए मीटर की स्थापना की रिपोर्ट एवं स्थापना के समय की एम.आर.आई प्रस्तुत करने हेतु कहा था, किंतु उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया उन्होंने प्रस्तुत करने में असमर्थता जताई ।
- 3. आवेदक से यह पूछा गया की आर.टी.सी. की गड़वडी के कारण एम.आर.आई से स्पष्ट है कि मीटर गलत रिकार्ड कर रहा है एवं आंतरिक खराबी के कारण मीटर जला है । इस पर उन्होंने कहा की मीटर अधिक भार के कारण जला है किंतु अधिक भार से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया ।

उभय पक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज / जानकारी प्रस्तुत की जानी है । अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

04 उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों / कथनों के आधार पर निर्विवादित तथ्य निम्नानुसार है:--

- 1. आवेदक ने स्टोन क्रेशर चलाने हेतु एक निम्नदाब कनेक्शन क्रमांक N 1707010100, 112 KW/ 150 HP का विद्युत कनेक्शन ग्राम तुमरी, रहली, जिला सागर में प्राप्त किया है ।
- 2. आवेदक का मीटर माह अगस्त—2021 में खराब हो गया था जिसे नये मीटर क्रमांक MPP18105 मेक SEMS, 40-200 एम्पीयर से बदला गया था ।
- 3. अपीलार्थी को माह सितम्बर 2021 में 8441.6 यूनिट, अक्टूबर 2021 में शून्य यूनिट, नवम्बर 2021 में 30942.4 यूनिट, दिसम्बर— 2021 में 8946.2 एवं जनवरी—2022 में 32116.2 यूनिट का बिल जारी किया गया उसके उपरांत मीटर दिनांक 5.2.2022 का जल गया था । अंतिम लोड सर्वे में दिनांक 3.4.2024 दिखा रहा है, जबिक मीटर दिनांक 5.2.2022 को जल गया था ।
- 4. बिलिंग डाटा के अनुसार मीटर कमांक MPP18105 लगाने पूर्व लगे मीटर में पिछले 3 वर्षो की खपत जुलाई—2018 से जून 2021 की कुल खपत 3,28,213 यूनिट जिसका प्रतिमाह औसत 9117 यूनिट है।
- 5. मीटर कमांक MPP18105 जल जाने के उपरांत स्थापित मीटर से माह अप्रैल-2022 से दिसम्बर 2022 की 9 माह की खपत 63409 यूनिट जिससे प्रतिमाह औसत 7045 यूनिट प्राप्त होता है ।
- 6. मीटर के लोड सर्वे से यह ज्ञात हुआ कि मीटर की RTC खराब थी जिसके कारण फरवरी 2022 में मार्च 2024 की तारीख बता रहा था ।
- 7. लोड सर्वे में यह देखा गया कि मीटर द्वारा दिनांक 12.3.2024 को जो दिन भर का डाटा प्रस्तुत किया है उसके अंश निम्नानुसार है ।

सं.क		अधिकतम मांग के समय	दिन में अधिकतम
(I)	Voltage	242 / 254 / 240	269 / 282 / 267
(II)	Current	200 / 274 / 375.5	0.6 / 3.3 / 376.80
(III)	Energy	41.12 / 29.18 / 00	
(IV)	Demand	164.48	
(V)	PF	+0.82	

- 8. लोड सर्वे से यह स्पष्ट हो रहा है कि RTC गड़बड़ होने के कारण मीटर द्वारा दर्ज डाटा (Energy, Voltage, current and P-F) भी गडबड़ है । अनावेदक का यह कहना कि गड़बड़ी के कारण खपत एवं अन्य डाटा पर कोड प्रभाव नहीं पड़ता, यह तकनीकी रूप से गलत एवं निराधार है ।
- 9. मीटर की अधिकतम क्षमता 200 AMP है, यदि 20 % की टालरेंस मान लें तो मीटर द्वारा 240 AMP से अधिक करंट सहन नहीं की जा सकती, जबिक 376 AMP करंट कई घंटो तक प्रदर्शित हो रही है वह भी केवल एक फेस पर ।
- 10. मीटर ने बिल माह नवम्बर—2021 में 30942 यूनिट एवं जनवरी—2022 में 32162 यूनिट दर्ज की है जो कि शंकास्पद प्रतीत होती है ।

- 11. मीटर क्रमांक MPP18105 मेक SEMS क्षमता थ्री फेस 40-200 AMP लगाने की दिनांक से मीटर जल जाने तक दर्ज की गई खपत संदेहास्पद क्योंकि इसके पूर्व की एवं इसके जलने के उपरांत लगाये गये मीटर की खपत से मेल नहीं खाती है ।
- 12. अनावेदक द्वारा सुनवाई के दौरान दिखाये गये फोटो से यह प्रतीत होता है कि मीटर आंतरिक खराबी से जला है बाहर से जलाने के प्रमाण के रूप में अनावेदक ने कुछ भी सबूत प्रस्तुत नहीं किया ।
- 13. अनावेदक को बार—बार निर्देशित करने पर भी विवादित मीटर की स्थापना की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जिससे RTC की गडबड़ी के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके ।
- 14. अनावेदक ने ऐसी कोई रिपोर्ट / साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलार्थी द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग कर रहा था या कोई अतिरिक्त भार का उपयोग हो रहा था अथवा किसी अन्य परिसर में उपयोग हेतु विद्युत प्रदाय अनाधिकृत रूप से दिया गया था । जिसके कारण अधिकतम मांग बढ़ी है एवं मीटर जला है ।
- 15. फोरम द्वारा पारित निर्णय में आवेदक द्वारा उठाये गये दो बिंदुओं (शिकायतों) (I) मीटर क्रमांक MPP18105 की RTC खराब होने के कारण उसके द्वारा दर्ज की गई खपत एवं अधिकतम मांग गलत है । (II) आवेदक का कनेक्शन मीटर जलने की दिनांक 5.2.2022 को काट दिया था। इसके उपरांत दिनांक 13.3.2022 तक कटा रहा, दिनांक 13.3.2022 को जला केबल बदलकर कनेक्शन बिना मीटर लगाये चालू किया एवं मीटर दिनांक 17.3.2022 को लगाया गया इस अविध में औसत खपत नहीं बिल की जावे क्योंकि कनेक्शन कटा था, इस पर कोई आदेश नहीं किया है।
- 16. अनावेदक ने कनेक्शन कटा होने के विरूद्ध न तो कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया एव ना ही कोई साक्ष्य, किन्तु इस बात को स्वीकार किया है कि मीटर स्टाक में नहीं होने से मीटर दिनांक 17.3.2022 को लगाया गया था ।
- 17. अनावेदक द्वारा केवल MRI डाटा प्रस्तुत किया ।

05 उभय पक्षों द्वारा किये गये कथनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों / साक्ष्यों की स्थापित विधि एवं नियमों / विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :--

- (1) अपीलार्थी ने स्टोन कशर हेतु 112 KW/ 150 HP का कनेक्शन प्राप्त किया है ।
- (2) अपीलार्थी के यहाँ स्थापित मीटर अगस्त 2021 में खराब (Defective) होने के कारण उसके स्थान पर नया मीटर क्रमांक MPP18105 मेक SEMS क्षमता थ्री फेस 40-200 AMP लगाया गया था जिसका RTC (Real Time clock) लगाने की दिनांक से ही गडबड थी ।
- (3) मई —2018 से जुलाई —2021 तक की कुल खपत 3,47,035 यूनिट है जो औसत 7712 यूनिट प्रतिमाह आती है । अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक की कुल खपत 77045 यूनिट है जिस का औसत 7045 यूनिट प्रतिमाह है ।
- (4) RTC (Real Time clock) में गड़बड़ी होने मीटर में दर्ज खपत एवं अन्य डाटा (Voltage, current, M.D, and P.F) भी असामान्य प्रतीत हो रहा है ।
- (5) मीटर की आंतरिक खराबी के कारण ही मीटर द्वारा MD (अधिकतम मांग) 164.48 KW एवं 150.12 तथा खपत 30924 एवं 32116 दर्ज हुई है । उक्त कारण से ही मीटर जला है । इस मीटर द्वारा बिल माह सितम्बर 2021 से जनवरी—2022 तक 5 माह में 80446 यूनिट खपत दर्ज की

- है जिसका औसत 16089 यूनिट प्रतिमाह आता है जो कि असामान्य है । अतः नियमानुसार आंकलित खपत बिल की जाना चाहिये ।
- (6) अनावेदक ने न तो मीटर स्थापना के समय की रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं ना ही कोई साक्ष्य / प्रमाण प्रस्तुत किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अधिक भार का उपयोग किया गया है ।
- (7) मीटर द्वारा दर्ज खपत, वोल्टेज, करंट आदि से स्पष्ट होता है कि RTC की गड़बड़ी के कारण मीटर ठीक कार्य नहीं कर रहा था । अतः सिद्ध होता है कि मीटर खराब (Defective) था एवं अंततः वह जल गया ।
- (8) यह भी सिद्ध होता है कि मीटर व केबल जल जाने के कारण दिनांक 5.2.2022 से दिनांक 13.3.2022 तक कनेक्शन कटा हुआ था । अतः इस अवधि का बिल आंकलित खपत के आधार पर नहीं होना चाहिये ।

06. प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :--

- (1) अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।
- (2) अपीलार्थी के कनेक्शन पर अगस्त— 2021 में स्थापित मीटर क्रमांक MPP18105 की RTC (Real Time clock) गड़बड होने (2 वर्ष से अधिक का अंतर 2022 के स्थान पर वर्ष 2024) के कारण मीटर डिफेक्टिव था, अतः आंकलित खपत विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 8.44 (ख) के अनुसार की जावे । बिल माह सितम्बर —2021 से बिल माह जनवरी— 2022 के बिल मई—2021, जून —2021, जुलाई—2021 की औसत खपत 12315 यूनिट प्रतिमाह (11782+12480+12664=36946÷3=12315 यूनिट) के अनुसार पुनरीक्षित किये जावें ।
- (3) चूंकि 5.2.2022 से दिनांक 13.3.2022 तक मीटर व केबल जल जाने के कारण कनेक्शन कटा हुआ था अतः इस अवधि हेतु आंकलित खपत बिल नहीं की जावे ।
- (4) अनावेदक उपरोक्तानुसार बिल पुनरीक्षित कर 15 दिवस के अंदर अपीलार्थी को उपलब्ध करावें एवं अपीलार्थी बिल प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर जमा करने योग्य राशि का भुगतान करें ।
- 07 उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभय पक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।
- 08 आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ उभय पक्ष पृथक रूप से सूचित हो आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल